न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(श्री मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या 175/2023 निर्णय दिनांक :–26.03.2025

उनवानी दावा :

शैतानसिंह पुत्र गोरधनसिंह जाति दरोगा उम्र बालिग निवासी नगरफोर्ट हाल निवासी संजय नगर, सरकारी विद्यालय के पास, वैशाली नगर जयपुर जिला जयपुर राज0

–वादी–

बनाम

1. तहसीलदार महोदय, नगरफोर्ट जिला टोक राज0
2. बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा नगरफोर्ट जिला टोंक जरिये शाखा प्रबंधक

–प्रतिवादीगण–

उपस्थितिः–

श्री राजेश जैन अधिवक्ता वादी | पेरोकार सरकार

दावा बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 144 खसरा नम्बर 1378 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 1379 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1380 रकबा 0.54 है0, खसरा नम्बर 1381 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 1393 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 2368 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 2369 रकबा 0. 13 है0, खसरा नम्बर 2370 रकबा 0.73 है0, खसरा नम्बर 2371 रकबा 2.45 है। कुल किता–9, कुल रकबा 4.94 है0 वाके ग्राम नगर पटवार हल्का नगर तहसील नगरफोर्ट जिला टोक राज0 मे स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात वादी को अपने पिता गोरधना की मृत्यु के बाद विरासत से प्राप्त हुई है। वादी का नाम सहवन से त्रुटिवश उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे छोटूसिंह पुत्र गोरधना दरोगा अंकित हो गया है जबकि वादी का वास्तविक नाम शैतानसिंह पुत्र गोरधनसिंह दरोगा है तथा वादी के अन्य सभी सरकारी दस्तावेजात आधारकार्ड, जनआधार कार्ड, जोब कार्ड, राशनकार्ड, बैंक की पासबुक आदि मे वादी का नाम शैतानसिंह पुत्र गोरधनसिंह दरोगा अंकित है जो कि गोरधना का पुत्र है। वादी के पिता गोरधना के छोटूसिंह नाम का कोई पुत्र नही है ऐसी स्थिति मे राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम दुरूस्त कर वादी का नाम शैतानसिंह पुत्र गोरधनसिंह दरोगा अंकित किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।वादी के नाम का गलत अंकन होने से वादी उक्त आराजीयात बाबत केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त

26.03.25

नही कर पा रहा है जिसके कारण वादी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है तथा बैंक से ऋण भी प्राप्त नही कर पा रहा है इस कारण वादी को यह वाद श्रीमान के न्यायालय मे पेश करना आवश्यक हुआ है। वाद कारण आज से 7 दिन पूर्व उत्पन्न हुआ जब वादी जमाबंदी की नकल लेकर बैंक मे केसीसी ऋण लेने के लिये गया जहां पर बैंक वालो ने वादी का नाम गलत अंकन होने से ऋण देने से मना कर दिया तब से लगातार रूप से जारी है। वाद वर्णित आराजीयात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद दो प्रतियो मे पेश है।

अतः वादी की अभियाचना है कि :–

अ– वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी बाबत दुरूस्ती इन्द्राज डिकी किया जाकर वाद वर्णित आराजीयात खाता संख्या 144 खसरा नम्बर 1378 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 1379 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1380 रकबा 0.54 है0, खसरा नम्बर 1381 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 1393 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 2368 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 2369 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 2370 रकबा 0.73 है0, खसरा नम्बर 2371 रकबा 2.45 है0 कुल किता–9, कुल रकबा 4.94 है0 वाके ग्राम नगर पटवार हल्का नगर तहसील नगरफोर्ट जिला टोक राज0 मे स्थित मे वादी का नाम दुरूस्त कर छोटूसिंह पुत्र गोरधना दरोगा के बजाय शैतानसिंह पुत्र गोरधनसिंह दरोगा राजस्व रिकार्ड मे अंकित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे।

ब– खर्चा मकदमा दिलाया जावे तथा अन्य सहायता जो वादी के हित मे हो प्रदान करायी जावे।

प्रतिवादी की तलबी जारी की गई।

अतः प्रतिवादी संख्या 2 बावजद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 तहसीलदार नगरफोर्ट ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:– वाद का चरण सं. 1 रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। वाद का चरण सं. 2 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधारकार्ड, राशनकार्ड, जनआधार कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक पासबुक, शपथ पत्र, सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा

26.3.25

हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र एवं मौका पर्चा पटवारी हल्का नगरफोर्ट अनुसार स्वीकार है। अन्तिम निर्णय माननीय न्यायालय क्षेत्राधिकार में है। वाद का चरण सं. 3 आंशिक रूप से स्वीकार है। वाद का चरण सं. 4 अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा बैंक ऑफ बडौदा नगरफोर्ट से केसीसी ऋण ले रखा है। अतः बैंक को भी सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपेक्षित है। वाद का चरण सं. 5 माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। वाद का चरण सं. 6 माननीय न्यायालय से सम्बन्धित होने से कानूनी है।

प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब इकबालिया होने से तनकियात बिन्दू की आवश्यकता नहीं रही।

अधिवक्ता वादी व पेरोकार सरकार ने साक्ष्य नहीं करवाना जाहिर किया।

अतः साक्ष्य वादी व प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो का ही दोहरान करते हुए वाद वादीपक्ष डिक्री करने की प्रार्थना की।

पेरोकार सरकार ने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया । अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। वादी व वादपत्र अनुसार वाद वर्णित आराजीयात में वादी के पिता गोरधना की मृत्यु के बाद विरासत से प्राप्त हुई। वादी का नाम सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में शैतान सिंह पुत्र गोरधन सिंह के स्थान पर छोटूसिंह पुत्र गोरधना दरोगा अंकित हो गया जिसको वादी सही नाम राजस्व रिकॉर्ड में शैतान सिंह पुत्र गोरधन सिंह करवाना चाहता है।

अपने वाद के समर्थन में वादी ने सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, कार्यालय ग्राम पंचायत नगरफोर्ट का प्रमाण पत्र दिनांक 15.02.2018 में छोटू सिंह उर्फ शैतान सिंह नरूका पुत्र स्व. श्री गोरधन सिंह, जन आधार कार्ड में शैतान सिंह, राशन कार्ड संख्या 00782 में शैतान सिंह पुत्र गोरधन सिंह, जॉब कार्ड संख्या 1244 में शैतान सिंह पुत्र गोरधन सिंह व बैंक ऑफ बड़ोदा की डायरी के खाता संख्या 05/1225 में शैतान सिंह उर्फ छोटू सिंह पुत्र गोरधन सिंह के

26.3.25

Scanned with OKEN Scanner

नाम का अंकन है। पत्रावली पर उपलब्ध रिलिज डीड दिनांक 05.04.17 में द्वितिय पक्ष ग्राहिता में छोटू सिंह पुत्र गोरधना के नाम का अंकन है।

वादी के वाद पत्र अनुसार वादी के पिता गोरधना की मृत्यु के बाद विरासत से प्राप्त हुई। वादी का नाम सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में शैतान सिंह पुत्र गोरधन सिंह के स्थान पर छोटूसिंह पुत्र गोरधना दरोगा अंकित हो गया, इस त्रुटि के सम्बन्ध में वादी ने ऐसा कोई राजस्व दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि गोरधना की मृत्यु के बाद विरासत के नामान्तकरण में सहवन से त्रुटिवश शैतान सिंह के स्थान पर गोरधन सिंह दर्ज हो गया जबकि रिलिज डीड दिनांक 05.04.17 में द्वितिय पक्ष ग्राहिता में छोटू सिंह पुत्र गोरधना के नाम का ही अंकन है। जमाबन्दी सम्वत 2071—74 के खाता संख्या 144 वाके नगर में वर्णित आराजी बैक ऑफ बड़ोदा के नाम पूर्ण खाता रहन दर्ज है। यदि उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में रहन मुक्त किये बिना संशोधन कर दिया जाता है तो बैंक को अपूरणीय क्षति होगी।

ऐसी स्थिति में वाद को स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं होने से वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 26.03.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(जो 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम देवली व अलजाम श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक .....

उनवानी दावा :

शैतानसिंह पुत्र गोरधनसिंह जाति दरोगा उम्र बालिग निवासी नगरफोर्ट हाल निवासी संजय नगर, सरकारी विद्यालय के पास, वैशाली नगर जयपुर जिला जयपुर राज0

—वादी—

बनाम

1. तहसीलदार महोदय, नगरफोर्ट जिला टोक राज0
2. बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा नगरफोर्ट जिला टोंक जरिये शाखा प्रबंधक

—प्रतिवादीगण—

दावा बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नं. 175 सन् 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री अशोक कुमार त्यागी आर. ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री राजेश जैन अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू पेरोकार सरकार व एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 2 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

वाद को स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं होने से वाद खारिज किया जाता है।

निजी.....मुवलिक.....बाबत् ....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक ..... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 03 सन् 2025 को जारी किया गया।

दस्तख्त .....

ओहदा .....उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)

मुहर

मुददई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :— इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner